न्यायिक प्रतिलिपि 137/22
मुकदमा नम्बर .... बनाम
बनाम. किशनसिंह / पुष्पाकंवर

प्रति–हस्ताक्षरित
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

<u>मूल वाद में डिक्री पर्चा</u>

(आदेश 20 नियम 6 व 7)

अज अदालत अपर जिला न्यायाधीश नोखा मुकाम नोखा बीकानेर

बइजलास श्री मुकेश कुमार–प्रथम, आर.जे.एस.

नंबरी दीवानी प्रकरण संख्या 03 / 2022

सीआईएस संख्या 137 / 2022

वादी:– 1. किसन सिंह पुत्र श्री बचनसिंह उम्र 61 वर्ष निवासी ग्राम भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

प्रतिवादीगण:– 1. श्रीमति पुष्पा कंवर पत्नी प्रताप सिंह निवासी वार्ड संख्या करणीनगर नोखा जिला बीकानेर।

<u>नबंरी दीवानी प्रकरण संख्या 03 / 2022 सीआइएस नंबर 137 / 2022 दावा बाबत् निरस्त करवाने बैयनामा दिनांक 22.11.2019 व प्राप्त करने आज्ञात्मक व्यादेश व चिर निषेधाज्ञा अर्न्तगत आदेश 07 नियम 01 सिविल प्रकिया संहिता</u>

वादी व प्रतिवादी पक्ष की ओर से आदेश 23 नियम 03 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादी किशन सिंह की ओर से उसके अधिवक्ता ने प्रकरण में राजीनामा होना जाहिर किया। वादी की ओर से पहचान उसके अधिवक्ता सुनील गोदारा ने की व प्रतिवादी की ओर से पहचान विद्वान अधिवक्ता श्री विनायक चितलंगी ने की राजीनामा उभय पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया तो सही होना स्वीकार किया। मुताबिक राजीनामा दोनो पक्षो ने समझौते के आधार पर विवाद का समाधान कर लिया है जिसमें खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 38, खसरा संख्या <u>1290 / 1254</u> कुल रकबा 1.0062 हेक्टेयर स्थित पटवार हल्का भामटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर जो पूर्व में प्रतिवादी के स्वामित्व में थी जिस भूमि में से रकबा 0.26 हेक्टेयर भूमि को विधिसम्मत रूप से वाणिज्यिक उपयोग हेतु कन्वर्जन करवा कर जिसका नया खाता संख्या 438 खसरा <u>1529 / 1514</u> रकबा 0.0715 हेक्टेयर एवं <u>10528 / 1514</u> रकबा 0.1885 हेक्टेयर है नायरा एनर्जी लिमिटेड से स्वीकृति प्राप्त कर पेट्रोल पंप की स्थापना की गयी। अब वर्तमान समझौता नामा के अनुसार उक्त पेट्रोल पंप सहित 0.26 हेक्टेयर भूमि को वादी के द्वारा प्रतिवादी को समुचित मूल्य 45 लाख रूपये में विकय किया जा रहा है। दोनो पक्ष इस बात पर सहमत है कि उपरोक्त भूमि एंव उस पर स्थित पेट्रोल पंप सहित भूमि रकबा 0.26 हेक्टेयर का कुल विकय मूल्य 45 लाख रूपये है जिसकी अदायगी प्रतिवादी द्वारा वादी को रजिस्टरी के समय भारतीय स्टेट बैंक शाखा भामटसर खाता संख्या 51081781002 से जारी तीन चैकों के माध्यम से की जायेगी जिनका चेक संख्या 760338,760339,760340 है उक्त चैकों के माध्यम से कुल राशि 45 लाख का भुगतान किया जायगा।

भूमि पर संचालित पेट्रोल पंप स्थित है जो कि नायरा एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत अधिकृत है। विकय की जा रही भूमि पर स्थापित पेट्रोल पंप का नाम श्री करणी पेट्रोल सर्विस है जिसका वैध डीलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर 52121एनए127 तथा जीएसटीआईएन नंबर 08सीपीवाईपीएस4468बी1जेड06 है।

उक्त पेट्रोल पंप के संचालन व विधिसम्मत स्वीकृति हेतु विकय की गयी भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से उचित एंट्री व एग्जिट अनुमति जिला कलेक्टर कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा पेसो से विस्फोटक एवं ईंधन भण्डारण हेतु आवश्यक लाईसेन्स एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र विधिवत् रूप से प्राप्त किये जा चुके है जिनकी प्रतिलिपियां विक्रेता के द्वारा क्रेता को उपलब्ध करवायी जायेगी।

उक्त पेट्रोल पंप पर स्थापित सभी यंत्र मशीनरी उपकरण टेंक पंप नोजल, ऑटोमेशन सिस्टम एवं अन्य समस्त तकनीकी संरचनाएं पूर्णत कार्यशील, सुचारू, एवं संचालन हेतु उपयुक्त स्थिति में है जिसका स्वामित्व एवं उपयोग अधिकार भी विकय के

प्रमाणित प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा (बीकानेर)

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नोखा (बीकानेर)

साथ ही केता को हस्तांरित किया जा रहा है। विक्रय के बाद केता को संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होगा व उक्त संपत्ति का उपयोग, नामांतरण , विक्रय, पट्टा बैंक ऋण हेतु गिरवीकरण या कंपनी अनुबंध में परिवर्तन करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

समझौतानामा की तारीख तक या इससे पूर्व पेट्रोल पंप एवं भूमि से संबधित कोई भी बकाया बिजली, पानी, कर , अन्य सरकारी शुल्क ऋण या कोई भी वित्तीय या कानूनी दायित्व जिसमें कि संबधित कोई भी देनदारी लोन पेडिंग बिल या भुगतान हो तो वह सभी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। द्वितीय पक्ष इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त रहेगा।

वादी के द्वारा पूर्व में प्रतिवादी को गारंटी के रूप में दिये गये कुल 10 चेक जो केवल सुरक्षा गांरटी प्रयोजन हेतु प्रदान किये गये थे उन्हे प्रतिवादी भविष्य में उक्त चैकों को प्रतिवादी के द्वारा किसी प्रकार से प्रयोग में नही लिया जावेगा।

भूमि एवं पेट्रोल पंप से सबंधित वादी व प्रतिवादी के द्वारा मध्य पूर्व में संपन्न हुआ कोई भी समझौता अनुबंध या सहमति पत्र इस समझौतानामा के निष्पादन के बाद स्वतः निरस्त व अमान्य मानी जावेगी तथा भविष्य में दोनो पक्षों के द्वारा उस पर कोई अधिकार दावा या आपत्ति नही की जावेगी। सबंधित पेट्रोलियम कपंनी पर उक्त समझौता नामा बाध्यकारी नही होगा क्योंकि कपंनी समझौते में पक्षकार नही है।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे। डिकी पर्चा बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 मई 2025 को जारी किया गया।

–:खर्चा:–

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प दावा	33460/–		स्टाम्प दावा	0	
स्टाम्प वकालतनामा	01/–		स्टाम्प वकालतनामा	01/–	
महनताना वकील	0		महनताना वकील	0	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	0		बाबत् इजराय हुक्मनामा	0	
मुतफर्रिक	10/–		मुतफर्रिक	0	
मीजान	33471/-		मीजान	1/–	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
नोखा (बीकानेर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नोखा (बीकानेर)